<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.05.2023</u>

<u>शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-</u>

<u>01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-</u>

01. संजू पत्नी राम बहाल नि0 ग्राम तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 227/23, 02. निर्मला पत्नी मनीराम नि0 ग्राम शहियापुर गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-228/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 10.05.2023

धोखाधडी कर गल्ला व्यापारी का चोरी गया गेहूं मय ट्रक व नगदी के बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 06.05.2023 को महावीर इन्टरप्राइजेज, नवीन मण्डी गोण्डा के मालिक विकास जैन द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री आकाश तोमर के समक्ष जनसुनवाई में पेश होकर धोखाधड़ी कर 249 कुन्टल 50 किलो गेहू चोरी होने की सूचना दी थी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा प्रथम दृष्टया ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल थाना को0 नगर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु प्र0नि0 को0 नगर को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में दोषी पाये गए 03 आरोपी अभियुक्तों-01. आंशू (ड्राइवर), 02. महेन्द्र सिंह, 03. पिन्टू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 74 बोरा गेहूं, 67,000/- रूपये नगद, 02 अदद असली व 03 अदद नकली नम्बर प्लेट, 01 अदद ट्रक आदि सामान बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त आंशू द्वारा बताया गया कि हम तीनो लोग दिनांक 26.04.2023 को बहराइच गल्ला मण्डी से 249 कुन्टल 50 किलो गेहू लाद कर ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज समस्तीपुर के लिए निकले थे कि लालच के चलते हमलोगो द्वारा रास्ते में ही 345 बोरा गेहूं को कम दाम में बेच दिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आंशू पुत्र गोविन्द सिंह नि0 कसिया नन्दपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
02. महेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह नि0 कसिया नन्दपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
03. पिन्टू पुत्र राधेश्याम नि0 मेहरुपुर राबी थाना कमालगंज जनपद फरुखाबाद।

आपराधिक इतिहास आंशु व महेन्द्र सिंह-

01. मु0अ0सं0-451/2019 धारा 308,323,325 भादवि0 थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-356/2023 धारा 420,406,467,468,471 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 74 बोरा गेहूँ (कुल 46 कुन्टल माल)
02. 02 अदद नम्बर प्लेट असली।
03. 03 अदद नम्बर प्लेट फर्जी।
04. 67000 रूपये नगद।
05. 01 अदद ट्रक।
06. 01 अदद कीपैड मोबाइल।
07. 01 अदद फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल।

02. उ0नि0 बब्बन सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 10.05.2023

नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 06 लाख 10 हजार रूपयो की ठगी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों की ठगी करने के वांछित अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ अमन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-711/22, धारा 420,467,468, 471,504,506 भादवि व 3(2) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना को0 देहात गोण्डा मे हुकुम तहरीरी दी गयी थी। उक्त अभियुक्त ने अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर मिशन शक्ति में ब्ला ॅक कोवार्डिनेटर के पद पर व मेडिकल का ॅलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर चार लोगो के साथ लगभग 6 लाख 10 हजार रूपयों की ठगी की थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01.नरेन्द्र उर्फ अमन पुत्र वंशराज नि0 भिवपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-711/22, धारा 420,467,468,471,504,506 भादवि व 3(2) एस0सी0एसटी0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 अवनीश शुक्ला मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 10.05.2023

अवैध मदाक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बच्ची मांझा प्राइमरी स्कूल के पास से अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुन्ना पुत्र लाल बहादुर नि0 ग्राम ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-156/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 संजय अग्निहोत्री मय टीम।